जनपद - संतकबीरनगर　　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　　दिनॉक 03-04-2021

आज दिनांक 03.04.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

40 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 20-10-10 लीटर (कुल 40 ली0) अवैध कच्ची शराब के साथ 03 अभियुक्तगण नाम पता 1- जोखन पुत्र छोटकन निवासी नाथनगर थाना महुली 2- हितेन्द्र कुमार पुत्र शिवप्रसाद हरिजन निवासी विसया हन्नू थाना कोतवाली खलीलाबाद 3- सूरज निषाज पुत्र रामजोहिल निवासी धन्नज्वल थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को क्रमशः 20-10-10 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना महुली पर क्रमशः मु0अ0सं0 108 / 2021, 109/2021 व 110/2021 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगी का विवरण –

40 लीटर अवैध कच्ची शराब।

गिरफ्तारी टीम का विवरण –

उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, हे0का0 कौशल किशोर, हे0का0 भानुप्रकाश, हे0का0 गामा यादव, का0 सलमान अंसारी, का0 सोनू यादव, का0 प्रभात कुशवाहा।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 10 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

<u>पीआरवी आफ द डे</u>

<u>पीआरवी 1487 द्वारा मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त व मारपीट में घायल व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल</u>– पीआरवी 1487 को थाना दुधारा क्षेत्रान्तर्गत मेलानखुर्द से इवेन्ट संख्या 11821 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 07 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजवाया गया तथा प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना दुधारा के सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को अस्पातल पहुंचाकर उनकी जान बची गयी। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 रामचन्द्र सिंह, आ0 विनोद भारती, हो0चा0 शिवकुमार गौड़।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 70 वाहनो से 48000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 03.04.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 70 वाहनो से 48000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।